"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2022—आश्विन 29, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 सितम्बर 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं आयुक्त, निःशक्तजन को केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

2. सुश्री किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सरकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

सुश्री किरण कौशल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् के महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के असंवगीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा को प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर एवं पदेन विशेष सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को केवल महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 सितम्बर 2022

क्रमांक ई 7-50/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-11 (2) के प्रावधान अनुसार श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. प्रमुख सचिव, मंत्रालय को दिनांक 01-09-2020 से 31-08-2022 तक शिशु देखभाल अवकाश की निरंतरता में दिनांक 01-09-2022 से 28-04-2023 तक कुल 240 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-12(3), 20(2) एवं 23 के प्रावधान अनुसार श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. को दिनांक 29-04-2023 से 29-09-2023 तक कुल 154 दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 30-09-2023 एवं 01-10-2023 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

3. अवकाश काल में श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से., को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि निहारिका बारिक, भा.प्र.से., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला राजनांदगांव के पुनर्गठित डोंगरगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्रमांक 2742/एफ 12/02/2012/13/2.—छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु ऊर्जा विभाग के आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2012 द्वारा 10 वर्षों हेतु दिशा-निर्देश जारी की गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त आदेश की कंडिका-16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका-15 में निहित अवधि में 10 वर्षों की और वृद्धि करती है.

3. पूर्व में जारी दिशा-निर्देश की अन्य कंडिकाएं यथावत प्रभावशील रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ-7-07/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बद्री नारायण मीणा (भापुसे-2004), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से 07 नवम्बर 2022 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 29 व 30 अक्टूबर तथा 08 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मीणा (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मीणा (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बद्री नारायण मीणा (भापुसे-2004), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. आनंद छाबड़ा, (भापुसे-2001), पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 9 सितम्बर 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3585/अ-82/भू-अर्जन/2021-22/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है.

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	वनउसरी	11	0.164 हे.	जिला कोण्डागांव के एन.एच. 30 मार्ग के कि.मी. 246/2 वनउसरी माकड़ी मार्ग के कि.मी. 2/2 नारंगी नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाले ग्राम वनउसरी की निजी भूमि.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 21-9-2022 को (समय) 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन वनउसरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	वनउसरी माकड़ी मार्ग के कि.मी. 2/82 नारंगी नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	0
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां 0.164 हेक्टेयर
सात	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	1170.73 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी.

दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2022

क्रमांक/7369/भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202209270900001/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (4) से (5) में दर्शित व्यक्तियों की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त व्यक्तियों के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	हितग्राही का नाम	पिता/पति/माता का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	झारा	श्री बालचंद	स्व. सुखदेव	कार्यालय कार्यपालन	कन्हर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामाशंकर	श्रीमती कलावती	अभियन्ता, जल	अमवार जिला
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामकेश्वर	श्री शंकर पण्डो	संसाधन विभाग,	सोनभद्र (उ.प्र.)
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अकलू पण्डो	स्व. विक्रम पण्डो	क्रमांक-2,	के डूब क्षेत्र में
--,,--	--,,--	--,,--	श्री पिन्टु पण्डो	श्री अकलू पण्डो	रामानुजगंज	प्रभावित
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रिम्पू पण्डो	श्री अकलू पण्डो	जिला-बलरामपुर-	छत्तीसगढ़ राज्य
--,,--	--,,--	--,,--	श्री जगदेव सिंह	स्व. समारू सिंह	रामानुजगंज	के कृषकों के
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामनरेश	श्री जगदेव सिंह	(छ.ग.)	पुनर्वास एवं
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अजय	श्री जगदेव सिंह	--,,--	पुनर्व्यवस्थापन
--,,--	--,,--	--,,--	श्री प्रेम सिंह	श्री जगदेव सिंह	--,,--	पैकेज का लाभ
--,,--	--,,--	--,,--	श्री हरि प्रसाद	श्री जगदेव सिंह	--,,--	देने हेतु ग्राम
--,,--	--,,--	--,,--	श्री लालजीत पण्डो	श्री लोचन	--,,--	त्रिशुली
--,,--	--,,--	--,,--	श्री भृगु पण्डो	श्री रामलोचन	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामदास	श्री शिवलाल पनिका	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामचन्द्र पनिका	श्री हरिहर पनिका	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री सरजू पनिका	श्री कैलेश्वर पनिका	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री लालमन पनिका	श्री शिवलाल पनिका	--,,--	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री कामेश्वर प्रसाद	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुधा रानी	श्री जगदीशवर प्रसाद	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुनिता देवी	श्री राजेन्द्र प्रसाद		
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अंकूर जायसवाल	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुचिता जायसवाल	श्री अंकित	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती किरण देवी	श्री सोनबच्चा जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती शलनी देवी	श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री सुनील कुमार	श्री विजय कुमार जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री प्रदीप कुमार जायसवाल	श्री जयकुमार जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुप्रिया जायसवाल	श्री देवेन्द्र	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती रेखा रानी जायसवाल	श्री रमेश चन्द्र जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती अर्चना जायसवाल	श्री निरंजन जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	--,,--	श्री दीरगज दयाल जयसवाल	श्री खुशी जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	त्रिशुली	श्री रामकुमार जायसवाल	श्री हीरा प्रसाद जायसवाल	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	त्रिशुली	श्री शिवकुमार जायसवाल	श्री हीरा प्रसाद जायसवाल	--,,--	--,,--

कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 32

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्वासन तथा पूनर्व्यवस्थापन में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता के प्रति, लोक प्रयोजन के लिये दिये गए औचित्य के प्रति आक्षेप/दावा/आपत्ति लिखित में भू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज को स्वयं अथवा उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अधिवक्ता के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

4. प्रस्तावित प्रयोजन को पुनर्वासन तथा पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय-02 एवं 03 के प्रावधानों के तहत् सिंचाई परियोजना के बाबत् जहा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात की प्रक्रिया की अपेक्षा कि जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे.

5. प्रस्तावित पुनर्वासन तथा पूनर्व्यवस्थापन के लिए अधिसूचना 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2022

क्रमांक/2951/अ-82/2021.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	रजखेता प.ह.नं. 31	1.14	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग वाड्रफनगर, बलरामपुर (छ.ग.).	बायपास सड़क निर्माण योजना अन्तर्गत ग्राम रजखेता.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 मई 2022

क्रमांक/2952/अ-82/2021.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर प.ह.नं. 29	0.74	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग वाड्रफनगर, बलरामपुर (छ.ग.).	बायपास सड़क लोक निर्माण योजना अन्तर्गत ग्राम वाड्रफनगर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गवरघुटरी प.ह.नं. 10	0.306	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खम्हार प.ह.नं. 06	0.511	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सोनपुर प.ह.नं. 14	1.182	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सरिया प.ह.नं. 05	0.598	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बकालो प.ह.नं. 15	1.588	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	भोजपुर प.ह.नं. 15	0.822	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	टोनाहीनारा प.ह.नं. 15	0.162	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कापू प.ह.नं. 21	0.784	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	मिरिगुड़ा	2.993	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बंधनपुर प.ह.नं. 15	1.348	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	नकना प.ह.नं. 07	1.473	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बाकारूमा प.ह.नं. 25	0.070	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के अंतर्गत)

क्रमांक/10622/भू-अर्जन/2022.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 13636/भू-अर्जन/2020/कोरबा दिनांक 05-10-2020 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया गया था जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01-01-2021 को किया गया था. क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू-अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 01-01-2022 तक अंतिम अधिसूचना (धारा-19) नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 19 (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

ग्राम-कथरीमाल, प.ह.नं.-01, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा छ.ग.

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	बरपाली	कथरीमाल प.ह.नं. 01	2.219	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक/10623/भू-अर्जन/49 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-कथरीमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.219 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.206
9/9	0.012
7/4	0.012

(1)	(2)
7/11	0.101
9/3	0.137
9/8	0.089
8/1	0.053
17/5	0.008
339/3	0.024
339/31, 339/32	0.028
22/14, 22/15, 22/16, 22/17	0.024
339/29	0.054
339/24	0.057
18/2	0.036
17/9	0.028
17/11	0.053
17/12	0.040
17/16	0.028
18/1	0.024
16/2, 34/2	0.004
32	0.008
339/25	0.053
339/33	0.045
339/45	0.073
339/50	0.032
339/51	0.008
33	0.024
339/27	0.045
35	0.008
22/2	0.081
22/3	0.081
22/13	0.020
22/20	0.040
339/65	0.024
339/57	0.036
339/52	0.032
339/64	0.045
339/69	0.032
339/76	0.028
22/74	0.040
22/40	0.053
22/33	0.012
22/81	0.049
22/65	0.049
22/66	0.073
22/69	0.045
339/61, 339/62	0.032
339/71	0.053
339/72	0.040
340	0.032
339/35	0.008
योग	2.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक 08/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-रतनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेंकर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.501 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90/2, 91	0.105
92/2	0.279
168	0.219
93	0.081
167	0.020

(1)	(2)
50/10	0.106
92/1	0.008
74/1	0.061
71/1	0.041
165	0.032
27/1, 27/2	0.280
73/1	0.041
27/3	0.320
170/2	0.032
182	0.012
181/2	0.137
177	0.024
35/1	0.120
72	0.089
69	0.036
68	0.024
43/1	0.081
43/2	0.061
43/6, 43/6क	0.412
50/11	0.008
43/7	0.024
50/30	0.008
49	0.170
43/3	0.024
43/10	0.243
43/10क	0.024
43/4	0.073
43/5ग	0.053
6/1	0.081
6/4	0.162
39	0.113
191	0.028
194	0.028
74/2	0.053
166/2	0.186
183/3	0.065
183/2	0.061
183/1	0.024
187/1	0.028
180/1	0.121
294	0.081
300	0.040
311	0.061
312	0.121
योग 52	4.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैन कोटा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2135.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5639 दिनांक 01-01-2022 द्वारा श्री अरूण वर्मा, अ.वि.अ. राजस्व राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री अरूण वर्मा, अ.वि.अ. राजस्व राजनांदगांव के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की

भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री गोवर्धन देशमुख	अध्यक्ष
2.	श्री अजय मारकंडे	उपाध्यक्ष
3.	श्री दुर्गेश द्विवेदी	सदस्य
4.	श्री भागवत वर्मा	सदस्य
5.	श्री तुकज साहू	सदस्य
6.	श्रीमती मीनाक्षी चन्द्राकर	सदस्य
7.	श्री अशोक पंजवानी (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2137.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/7557 दिनांक 26-03-2021 द्वारा श्री इन्द्रजीत बर्मन, संयुक्त कलेक्टर जिला-कबीरधाम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री इन्द्रजीत बर्मन, संयुक्त कलेक्टर जिला-कबीरधाम के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री नीलकंठ साहू	अध्यक्ष
2.	श्री चोवा साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री लाला पटेल	सदस्य
4.	श्रीमती रानू दुबे	सदस्य
5.	श्री संजय लिखाटे	सदस्य
6.	श्री दिनेश मानिकपुरी	सदस्य
7.	श्री रामफल कौशिक (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 5 सितम्बर 2022

शुद्धिपत्र

क्रमांक 897/नग्रानि/वि.यो.-भटगवां/2022.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत् भटगवां निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये जाने की सूचना इस कार्यालय के समसख्यंक सूचना क्रमांक 462/नग्रानि/वि.यो.-भटगवां/2022 अम्बिकापुर दिनांक 22-04-2022 अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 29 रायपुर शुक्रवार दिनांक 22 जुलाई 2022-आषाढ़ 31, शक 1944 को पृ.क्र. 1104-1105 भाग-1 में प्रकाशित की गई है.

उक्त सूचना के हिन्दी प्रारूप में भटगांव के स्थान पर भटगवां तथा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कार्यालय के नाम — 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के स्थान पर 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भटगवां, जिला सूरजपुर (छ.ग.) पढ़ा जावे तथा उक्त सूचना के अंग्रेजी प्रारूप में (iv) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Surajpur, Distt.-Surajpur (C.G.) के स्थान पर (iv) Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat Bhatgaon, Distt.-Surajpur (C.G.) पढ़ा जावे.

भवानी शंकर ताम्रकार,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th September 2022

No. 1110/Confdl./2022/II-3-14/2000 (Part-IV).— On the application of Shri Gokaran Singh Kunjam, Member of Higher Judicial Service and presently posted as judge, Family Court, Raigarh, the english version of the spelling of his name is rectified as "Shri Gaukaran Singh Kunjam". It is directed that his rectified name shall be mentioned in future correspondence/orders.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2022

क्रमांक 205/दो-2-12/2008.—श्री भुनेश्वर राम, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-08-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.